Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में जिला शिक्षा अधिकारी एवं दो अन्य 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये मोहनलाल मेघवाल जिला शिक्षा अधिकारी जालोर, बसन्त कुमार शाह लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, जालोर एवं दिनेश कुमार भट्‌ट सहायक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग, जालोर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा संचालित प्राइवेट विद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट सही भिजवाने की एवज में मोहनलाल मेघवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर एवं टीम सदस्यों द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिनेश कुमार भट्‌ट हाल निजी सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग, जालोर को परिवादी से **30 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में मोहनलाल मेघवाल जिला शिक्षा अधिकारी जालोर एवं बसन्त कुमार शाह लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, जालोर को भी संलिप्तता पाये जाने पर बाद तफतीश गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।